

Indian Constitution

- * संविधान सभा की सभी महत्वपूर्ण समितियों में ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे महत्वपूर्ण था।
- * Drafting Committee का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया।
- * इसके अन्तर्गत सात सदस्य थे
 - (i) Dr. B.R. Ambedkar (Chairman)
 - (ii) N. Gopalaswamy Ayyangar
 - (iii) Alladi Krishnaswamy Ayyar
 - (iv) Dr. K.M. Munshi
 - (v) Sayed Mohammad Saadullah
 - (vi) N. Madhava Rao (B.L. मिटर के नगदपर)
 - (vii) T.T. Krishnamachari (D.P. Khetkar की मृत्यु के बाद)
- * Drafting Committee ने संविधान का प्रथम ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया।
- * भारत के लोगों को इस ड्राफ्ट पर अपने सुझाव तथा विचार देने के लिए 8 माह का समय दिया गया।
- * ड्राफ्ट का दूसरा प्रकाशन अक्टूबर 1948 में हुआ।
- * डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर ने संविधान का फारमल ड्राफ्ट 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया।
- * संविधान सभा में 3 दिनों तक अर्थात् 9 नवम्बर 1948 तक ड्राफ्ट पढ़ा हुआ।
- * संविधान सभा में संविधान का सभ्य द्वितीय वाचन 15 नवम्बर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ।
- * संविधान का तृतीय वाचन 15 नवम्बर 1949 को शुरू हुआ।
- * 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा

Scanned By Scanner Go

द्वारा संविधान की परित धौषित किया गया।

- 26 नवम्बर 1949 की परित मातीय संविधान में 395 धाराएँ और 8 अनुलुची थी।
- डॉ० भीम राव अम्बेदेकर की मातीय संविधान का जनक तथा उनकी अदुसुत लेखनी के लिये उन्हें 'आधुनिक मनु' (modern manava) कहा जाता है।
- संविधान के कुँकु उपबन्ध जैसे आर्म्सिक्ल 5, 6, 7, 8, 19, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 वगैर 393 26 नवम्बर 1949 की ही प्रभाव में आ जाये।
- संविधान का अंश भाग 26 जनवरी 1950 की लागु हुआ।

कमलः

por-sc (Hons)
part-II
paper-I.

Dr. Rama Kant Pandey
S.R.A.P College.
Bera Chakriga.